In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 1022/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated Of December, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand **Finance Section-8** No./022/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017

Dehradun :: Dated:: @ December, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act) and in supersession of Notification No. 977/2017/XXVII(8)/2017 Dated 23 November, 2017 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to notify the registered person who did not opt for the composition levy under section 10 of the said Act as the class of persons who shall pay the State tax on the outward supply of goods at the time of supply as specified in clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the said Act including in the situations attracting the provisions of section 14 of the said Act, and shall accordingly furnish the details and returns as mentioned in Chapter IX of the said Act and the rules made thereunder and the period prescribed for the payment of tax by such class of registered persons shall be such as specified in the said Act.

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

(Radha Raturi) **Principal Secretary**

उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग—8 संख्या /2017/9(120)/XXVII(8)/2017

देहरादूनः दिनांकः ०८ दिसम्बर, 2017

<u>अधिसूचना</u>

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) (जिसे इस अधिस्चना में इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिस्चना संख्या 977/2017/XXVII(8)/2017 दिनांक 23 नवम्बर, 2017 को, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसने उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन संयुक्त उद्ग्रहण का विकल्प नहीं लिया था, ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में अधिस्चित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो उन परिस्थितियों में जो उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों को आकर्षित करती है सहित उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट पूर्ति के समय माल की जावक पूर्ति पर राज्य कर का संदाय करेगा, और तदनुसार उक्त अधिनियम के अध्याय 9 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथाविनिर्दिष्ट ब्यौरे और विवरणी को प्रस्तुत करेगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा कर के संदाय के लिए विहित अवधि वह होगी जो उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 15 नवम्बर, 2017 से प्रवृत होगी ।

(राधा रतूड़ी) प्रमुख सचिव

सं0/0२२/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तद्दिनांक। प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1—आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2—निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग—8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3-विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4-अपर सचिव, वित्त-८, उत्तराखण्ड शासन।

5-एन०आई०सी०

6-गार्ड फाईल हेत्।

आज्ञा से (हीरा सिंह बसेड़ा) अनु सचिव